



पत्रांक : 732/पी0ए0/2022

दिनांक : 11/11/2022

कार्यालय आदेश

मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 16.11.2022 के अनुपालन में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की विभिन्न टीमों को पूर्वी-क्षेत्र एवं अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के अध्यादेश के अनुसार क्रीड़ा परिषद् का निम्नवत् गठन किया जाता है -

01. संरक्षक मा0 कुलपति जी

अध्यादेश की धारा 3 (a) के अनुसार -

01. अध्यक्ष प्रो0 पी0सी0 यादव, प्राचार्य-डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।

02. सदस्य प्रो0 विजय कुमार राय, प्राचार्य-जी0एस0टी0 पी0जी0 कालेज, बरदह आजमगढ़।

03. सदस्य प्रो0 शर्वेश पाण्डेय, प्राचार्य-डी0सी0एस0के0 पी0जी0 कालेज, मऊ।

04. सदस्य प्रो0 रामप्रकाश, प्राचार्य-जे0 पी0जी0 कालेज, रानीपुर, मऊ।

अध्यादेश की धारा 3 (e) के अनुसार -

01. सदस्य सुश्री चेतना सैनी, (चैम्पियन एथलीट), जे0एन0एम0पी0 पी0जी0 कालेज, रघूपुर आजमगढ़।

अध्यादेश की धारा 3 (f) के अनुसार -पदेन सदस्य श्री विपिन चन्द्र अस्थाना, डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।

01 पदेन सदस्य वित्त अधिकारी

02 कोषाध्यक्ष कुलसचिव

अध्यादेश की धारा 3 (2) के अनुसार -

01. सचिव प्रो0 प्रशान्त कुमार राय (एस0जी0 पी0जी0 कालेज, मालटारी आजमगढ़।

क्रीड़ा परिषद् का कार्यकाल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के अधिनियम के अनुसार होगा। सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए होगा।

(वी0पी0 कौशल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. उपरोक्तानुसार समस्त संबंधित को।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

कुलसचिव